

न्यायालय तहसीलदार सण्डीला जनपद हरदोई

जितेन्द्र शुक्ला.....बनाम.....

अनुरुद्ध सिंह आदि

क0वाद सं0-T2016103304910

वाद सं0 522 / वर्ष 2016

धारा - 34 भू0रा0अधिनियम 1901

भूमि ग्राम गोगादेव परगना कल्यानमल तहसील सण्डीला जिला हरदोई

निर्णय

उपरोक्त वाद की कार्यवाही विक्रय पत्र के आधार पर योजित वाद पर आरम्भ हुई। वाद पंजीकृत कर नियमानुसार इशतहार व नोटिस जारी की गयी जो बाद तामील संलग्न पत्रापली की गयी। कोई आपत्ति न होने से वाद निर्विवाद है। उपरोक्त साक्ष्यो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर नामांतर स्वीकार करने में ज0वि0अधि0 की धारा 154,157क, 157कक का उल्लघन नही होता है। अतः साक्ष्यो के आधार पर नामांतर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोगादेव परगना कल्यानमल तहसील सण्डीला जनपद हरदोई की खतौनी सन् 1421-1426फ0 की खाता सं0 295 की गाटा सं0 174/0.1920हे0 मे से 0.1250हे0 भूमि पूर्व मे विक्रय करने के बाद बची शेष भूमि 0.0670हे0 से भू0रा060ख के अनुसार से विक्रेता खातेदार अनुरुद्ध सिंह व अरमान सिंह पुत्रगण शिवनन्दन सिंह व श्रीमती श्यामा सिंह पत्नी शिवनन्दन सिंह निवासीगण ग्राम शिवथाना मजरा गोगादेव परगना कल्यानमल तहसील सण्डीला जनपद हरदोई का नाम पृथक करके उसके स्थानपर केता राजकुमार ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक जितेन्द्र शुक्ला पुत्र राजकुमार शुक्ला निवासी सहारा स्टेट जानकीपुरम लखनऊ का नाम राजस्व अभिलेखो में विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2016 के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाय। पत्रावली बाद अमलदरामद संचित अभिलेखागार की जाये।

हरदोई

जितेन्द्र शुक्ला  
25/5/16

17/5/16  
(एस0 एन0 त्रिपाठी )  
तहसीलदार, सण्डीला

भाज्रा से पेशकार

न्यायालय तहसीलदार,  
सण्डीला।

3/6/16

न्यायालय तहसीलदार सण्डीला जनपद हरदोई

जितेन्द्र शुक्ला..... बनाम..... अनुरुद्ध सिंह आदि

क0वाद सं0-T2016103304910

वाद सं0 522 / वर्ष 2016

धारा - 34 भू0रा0अधिनियम 1901

भूमि ग्राम गोगादेव परगना कल्यानमल तहसील सण्डीला जिला हरदोई

निर्णय

उपरोक्त वाद की कार्यवाही विक्रय पत्र के आधार पर योजित वाद पर आरम्भ हुई। वाद पंजीकृत कर नियमानुसार इशतहार व नोटिस जारी की गयी जो बाद तामील संलग्न पत्रावली की गयी। कोई आपत्ति न होने से वाद निर्विवाद है। उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर नामांतर स्वीकार करने में ज0वि0अधि0 की धारा 154,157क, 157कक का उल्लंघन नहीं होता है। अतः साक्ष्यों के आधार पर नामांतर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोगादेव परगना कल्यानमल तहसील सण्डीला जनपद हरदोई की खतौनी सन् 1421-1426फ0 की खाता सं0 295 की गाटा सं0 174/0.1920हे0 में सं 0.1250हे0 भूमि पूर्व में विक्रय करने के बाद बची शेष भूमि 0.0670हे0 से भू0रा060ख के अनुसार से विक्रेता खातेदार अनुरुद्ध सिंह व अरमान सिंह पुत्रगण शिवनन्दन सिंह व श्रीमती श्यामा सिंह पत्नी शिवनन्दन सिंह निवासीगण ग्राम शिवथाना मजरा गोगादेव परगना कल्यानमल तहसील सण्डीला जनपद हरदोई का नाम पृथक करके उसके स्थानपर क्रेता राजकुमार ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक जितेन्द्र शुक्ला पुत्र राजकुमार शुक्ला निवासी सहारा स्टेट जानकीपुरम लखनऊ का नाम राजस्व अभिलेखों में विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2016 के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाय। पत्रावली बाद अमलदरामद संचित अभिलेखागार की जाये।

हरदोई

अनुरुद्ध सिंह  
25/5/16

17/5/16  
(एस0 एन0 त्रिपाठी )  
तहसीलदार, सण्डीला

आज्ञा से पेशकार

न्यायालय तहसीलदार,  
सण्डीला।  
3/6/16